

31/१२

प्राथमिक पत्र हेतु समग्र पाठ्य

पत्रावली वास्तविक जवाब प्राथमिक पत्र
दिनांक ०७/०९/२२ को पेश की

७/१२

अधिवक्तागण उपस्थित। ³हरतगत
प्रकरण का मूलवाद खारिज की
गया है। अब इस पत्रावली में
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत

निवान बनाम

करण संख्या / अन्तर्गत धारा.....

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो पात
--------	-----------------------------------	--------------------

धारा 212 RTA इसी स्तर पर
खासियत किया जाता है। पत्रावली
इस कदर फेरसल शुमार होकर
गम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

